

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मुकाम जोधपुर

प्रार्थी:-

वनाग

अप्रार्थीगण:-

कान्ता व अन्य

जे.डी.ए. व अन्य

किस्म मुकदमा 212 आर.टी.एवट.

मुकदमा नम्बर /2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
11.08.2020	<p>प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने मौजा चौपासनी जागीर तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नं. 75/5, 75/7 व 75/7-ए भूमियों पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की सुनवाई किये बिना अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.09.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">९</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर</p> <p>18/8/20 पत्रावली पेश पीठस्थीन अधिकारी अवकाश पर है। दीरे पर केवल कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 18/08/20 को पेश हो।</p> <p>20/9/20 पत्रावली पेश पीठस्थीन अधिकारी अवकाश पर है। दीरे पर केवल कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 18/09/20 को पेश हो।</p> <p>18/11/20 पत्रावली पेश पीठस्थीन अधिकारी अवकाश पर है। दीरे पर केवल कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21/11/20 को पेश हो।</p>	
12/11/21	<p>पत्रावली का निवेदन करके ही जज को सुनाया जायेगा। प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है। पत्रावली दिनांक 12/11/21 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (राज.)